वीरेन्द्र कुमार
पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन)

अ०शा०पत्रांक: डीजी-[illegible]-308(1)/96
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
दिनांक: लखनऊ [illegible] 19, 1996

प्रिय महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या: एसआरओए-[illegible]/96 दिनांक 1 मार्च 1996 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जो उ0प्र0 पुलिस रेडियो शाखा में उपलब्ध समस्त वायरलेस सेट्स एवं बैट्रीज के सम्बन्ध में है।

2- आपके सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न चोरी/गुम हुए सेटों एवं बैट्री के विवरण के अनुसार कुल 26 अदद विभिन्न प्रकार के रेडियो सेट एवं 18 बैट्रियां गुम है। चोरी/गुम हुए सेटों एवं बैट्रियों के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर, प्रदेश संतुष्ट नहीं है। जिन मामलों में विधिक कार्यवाही भी की गई है वे काफी समय से लम्बित है और उनका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है।

3- पुलिस महानिदेशक महोदय ने यह निर्देश दिये है कि चोरी/गुम हुए सेटों व बैट्रियां जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के कब्जे में थे, उनको इसके लिए उत्तरदायी ठहराते हुए उनके विरुद्ध सम्यक कार्यवाही की जाये तथा निर्धारित मूल्य की वसूली भी उनसे की जाये ताकि राजकीय सम्पत्ति के रख रखाव व सुरक्षा के प्रति कर्मचारियों में बेहतर उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो सके।

4- निर्देशानुसार अनुरोध है कि चोरी/गुम हुए सेटो एवं बैट्रियों का पता लगाने की कार्यवाही गंभीरता पूर्वक की जाये तथा उत्तरदायि अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही भी करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(वीरेन्द्र कुमार)

श्री एस0एम0नसीम,
पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक,
उ0प्र0पुलिस रेडियो, महानगर,
लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
बी0एन0 लहरी मार्ग, लखनऊ-226001

Headquarters Director Genral Of Police, Uttar Pradesh
B.N Lahri Marg, Lucknow- 226001

पत्रॉक:-डीजी-चार-114(05)2009 दिनॉक:लखनऊ:मार्च 12,2009

सेवा में,

समस्त जनपदीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
<u>उत्तर प्रदेश ।</u>

कृपया इस मुख्यालय के संज्ञान में लाया गया है कि जनपदों में पुलिस कर्मियों द्वारा प्रयोग किये जा रहे वायरलैस सेटों को स्थानान्तरण पर जाते समय सम्बन्धित वायरलेस संचार केन्द्र/रेडियो शाखा को वापस नहीं किया जाता है तथा रेडियो शाखा से अदेयता प्राप्त किये बगैर कर्मियों को जिलों से स्थानान्तरण पर प्रस्थान करा दिया जाता है । जनपदों द्वारा कर्मियों के स्थानान्तरण पर प्रस्थान हेतु निर्धारित अदेयता प्रमाण पत्र के प्रारूप में रेडियो शाखा से अनापत्ति प्राप्त करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

2- अत: निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपदों में कर्मियों के स्थानान्तरण पर प्रस्थान के लिए निर्धारित किये गये अदेयता प्रमाण पत्र के प्रारूप में निम्न कालम "जनपदीय वायरलेस संचार केन्द्र/रेडियो शाखा के रेडियो निरीक्षक/प्रभारी रेडियो शाखा की अनापत्ति" बढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वायरलेस सेट जैसे महत्वपूर्ण उपकरण का सदुपयोग एवं सुरक्षा हो सके ।

(विजय सिंह)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-अपर पुलिस महानिदेशक(दूरसंचार) उ0प्र0 लखनऊ ।
2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक,उ0प्र0 ।
3-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक,उ0प्र0 ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
बी0एन0 लहरी मार्ग, लखनऊ-226001
Headquarters Director Genral Of Police, Uttar Pradesh
B.N Lahri Marg, Lucknow- 226001

पत्रांक:-डीजी-चार-114(05)2009 दिनांक:लखनऊ:मार्च 12,2009

सेवा में,

समस्त जनपदीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।

कृपया इस मुख्यालय के संज्ञान में लाया गया है कि जनपदों में पुलिस कर्मियों द्वारा प्रयोग किये जा रहे वायरलैस सेटों को स्थानान्तरण पर जाते समय सम्बन्धित वायरलेस संचार केन्द्र/रेडियो शाखा को वापस नहीं किया जाता है तथा रेडियो शाखा से अदेयता प्राप्त किये बगैर कर्मियों को जिलों से स्थानान्तरण पर प्रस्थान करा दिया जाता है । जनपदों द्वारा कर्मियों के स्थानान्तरण पर प्रस्थान हेतु निर्धारित अदेयता प्रमाण पत्र के प्रारूप में रेडियो शाखा से अनापत्ति प्राप्त करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

2- अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपदों में कर्मियों के स्थानान्तरण पर प्रस्थान के लिए निर्धारित किये गये अदेयता प्रमाण पत्र के प्रारूप में निम्न कॉलम ''जनपदीय वायरलेस संचार केन्द्र/रेडियो शाखा के रेडियो निरीक्षक/प्रभारी रेडियो शाखा की अनापत्ति'' बढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वायरलेस सेट जैसे महत्वपूर्ण उपकरण का सदुपयोग एवं सुरक्षा हो सके ।

(विजय सिंह)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1-अपर पुलिस महानिदेशक(दूरसंचार) उ0प्र0 लखनऊ ।
2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक,उ0प्र0 ।
3-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक,उ0प्र0 ।

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ।

पत्रांक: एआरओएम-368/09 दिनांक:मार्च 25 ,2009

सेवा में,

1. **समस्त राज्य रेडियो अधिकारी/सहायक रेडियो अधिकारी, उ0प्र0।**
2. **समस्त रेडियो निरीक्षक जनपद/वाहिनी, उ0प्र0।**

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

सहायक रेडियो अधिकारी(अनुरक्षण)
उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय
महानगर, लखनऊ।

आ दे श

वायरलेस सेट एवं राजकीय सम्पत्ति के खोने तथा समय से पूर्व टूट-फूट होने पर उनके अपलेखन/ निष्प्रयोजीकरण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के आदेश संख्या टी एस/सी-4, दिनांक 20-8-85 के द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये थे, लेकिन इन निर्देशों के बावजूद भी पुनः यह देखने में आया है कि अपलेखन/ निष्प्रयोजीकरण के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही नियमानुसार नहीं की जारही है । अतः राजकीय सम्पत्ति के खोने अथवा टूट-फूट होने की दशा में पुनः निम्नलिखित निर्देश पारित किये जाते हैं । ताकि अपलेखन /निष्प्रयोजीकरण सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार एवं बिना किसी विलम्ब के पूर्ण की जा सके ।

1- विभागीय स्थायीआदेश संख्या 13/1967 के प्रस्तर -2 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किसी राजकीय सम्पत्ति की क्षति/हानि की सूचना तत्काल रेडियो मुख्यालय, लखनऊ, स्थानीय अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को दी जाये

2-प्रभारी पुलिस अधीक्षक/ सेनानायक /राज्य रेडियो अधिकारी क्षति/हानि केसम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त वित्तीय नियम संग्रह-खण्ड भाग-1 के प्रस्तर-82 का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की विवरण पुलिस रेडियो मुख्यालय को प्रेषित करें ।

3 ए-वायरलेस सेट, आयुध शस्त्रों आदि की चोरी /हानि/ क्षति होने पर सर्वप्रथम सम्बन्धित पुलिस लाईन्स /थाने की जीडी में रिपोर्ट अंकित कराई जाय तथा तदोपरान्त सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराकर मुकदमें की विवेचना कराई जाये ।

ब- वायरलेस सेटों की सहवर्ती उपकरणों तथा एन्टीना, फोन तथा बैट्री इत्यादि की क्षति/ हानि होने पर की दशा में सम्बन्धित पुलिस लाइन्स/ थाना की जीडी में रिपोर्ट अंकित कराई जाय तथा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/ सेनानायक /उप क्षेत्रीय राज्य रेडियो अधिकारी द्वारा प्रकरण की प्रारम्भिक जांच कराई जाय ।

4- मुकदमें की विवेचना/ विभागीय जांच का निष्कर्ष प्राप्त होने पर जिम्मेदारी का निर्धारण अथवा अपलेखन द्वारा निस्तारण हेतु सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक / सेनानायक द्वारा राजपत्रित अधिकारी की अध्यक्षता में विभागीय समिति का गठन किया जाय ।

5- जिस राजपत्रित अधिकारी के क्षेत्र में सेट की क्षति/ हानि हुई हो, उस अधिकारी को समिति का अध्यक्ष न बनाया जाय ।

6- कमेटी रिपोर्ट प्रत्येक दशा में हिन्दी में तथा निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में भेजी जायें।

7- समिति आख्या के साथ निम्न अभिलेख अवश्य संलग्न किये जायें।

(1) पी0ई0आर0 रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

(2) मुकदमा कायम किये जाने की स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

(3) माननीय न्यायालय के आदेश की दो प्रतियाँ।

(4) प्रारम्भिक जाँच के आदेश की दो प्रतियाँ।

(5) जाँच आख्या की दो प्रतियाँ।

(6) विभागीय समिति गठन के आदेश की दो प्रतियाँ।

(7) महालेखाकार को भेजी गयी रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

8- कमेटी रिपोर्ट दो प्रतियों में सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/सेनानायक की सहमति अंकित कराते हुये सम्बन्धित उपक्षेत्र के राज्य रेडियो अधिकारी को प्रेषित की जाय तथा इसकी सूचना रेडियो मुख्यालय को भी भेजी जाय। राज्य रेडियो अधिकारी इस सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

9- क्षेत्रीय राज्य रेडियो अधिकारी कमेटी रिपोर्ट एवं तथ्यों के आधार पर अपने विवेक से यह सुनिश्चित करेंगे कि अपलेखन/निष्प्रयोज्यीकरण की परिस्थिति हेतु कोई व्यक्ति दोषी है अथवा नहीं।

(1) यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाये तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।

(2) यदि निष्प्रयोजन/अपलेखन की परिस्थिति के लिये कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया जाता है तो सम्बन्धित राज्य रेडियो अधिकारी निष्प्रयोज्यीकरण/अपलेखन की कार्यवाही पूर्ण करके अपनी संस्तुति के साथ इसे अग्रेतर कार्यवाही हेतु रेडियो मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करेंगे।

संख्या: एस0आर0ओ0एम0-368/93
दिनांक: अगस्त 7, 1993

7/8/93
पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक(रे0)
उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर-लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- समस्त पुलिस अधीक्षक/सेनानायक पीएसी वाहिनी, उ0प्र0
2- समस्त राज्य रेडियो अधिकारी/अपर राज्य रेडियो अधिकारी/स0रे0अधि0, पुलिस रेडियो विभाग, उ0प्र0
3- समस्त रेडियो निरीक्षक/रेडियो अनुरक्षण अधिकारी, प्रभारी परिक्षेत्र/पीएसी वाहिनी/जनपद एवं नगर नियंत्रण कक्ष, उ0प्र0।